



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241389  
CG-DL-E-24122022-241389

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5793]  
No. 5793]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/PAUSHA 2, 1944

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 6036(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि केरल राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी से तमिलनाडू राज्य में सेलम तक तरल पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए एक पाइप मेसर्स कोच्चि सेलम पाइपलाईन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और जबकि अब, केन्द्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उन भूमियों में उपयोगकर्ता का अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है जिनके तहत इस तरह की पाइपलाईनों को ऊपर की बजाय इस उल्लेखित अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में वर्णित किया जाना प्रस्तावित है ;

इसलिए अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है उसमें उपयोगकर्ता का अधिकार है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां आम जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर, उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण पर लिखित में आपत्ति कर सकता है। उसमें भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए डिप्टी कलेक्टर /प्रतियोगिता प्राधिकरण, कोच्चि, सेलम पाइपलाईन परियोजना, बीपीसीएल एलपीजी बाटलिंग प्लांट कैंपस, पोस्ट बॉक्स नं. 1644, पीलमेडू, कोयम्बतूर – 641004. तमिलनाडू।

अनुसूची					
राज्य : तमिलनाडू			जिला : कोयम्बतूर		
नाम तालुक	गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरिया	वर्ग मीटर
किणत्तुकडवु	034 काट्टंपट्टी	461	0	14	18
		462	0	1	50

[फा. सं. आर-12031/1/2021-ओआर-II/ई-39085.]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

**S.O. 6036(E).**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Liquified Petroleum Gas from Kochi refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the state of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu, a pipeline should be laid by M/s. Kochi Salem Pipeline Private Limited;

And whereas now, it appears to the central government that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule annexed to this notification.

Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (ACT 50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in land described in the said schedule may within 21 days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying the pipeline under the land to The Deputy Collector / Competent Authority, Kochi Salem Pipeline Project, BPCL LPG Bottling Plant Campus, Post box No: 1644, Peelamedu, Coimbatore – 641 004, Tamil Nadu.

SCHEDULE					
STATE: TAMIL NADU			DISTRICT: COIMBATORE		
Name of Taluk	Name of Village	Survey Number	Hectare	Ares	Square meter
Kinathukadavu	034.Kattampatty	461	0	14	18
		462	0	1	50

[F. No. R-12031/1/2021-OR-II/E-39085]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.